

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)  
पीठासीन अधिकारी - अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 199/2023/ सरफैसी

Indusland Bank Limited, CFD Talesara Sqaure, Secound Floor, 11  
Modrn Complex , Opposite Celebration Mall, Bhuwana Main Road,  
Udaipur , Rajasthan - 313011

बनाम

.....प्रार्थी

Mr. Narayan Lal Salvi S/o Mr. Pratap Salvi Address 1: R/o 1441 Pipli,  
chowk Ward, No.26, Girwa H Magri, Udaipur, Raj- 313002  
Address 2: Part of Plot No. 3. Revenue Village Gariyawas, Tehsi  
Girwa, Near Abhinanda Secondary School, Udaipur Raj- 313001  
Mrs. Deu Bai W/o Mr. Narayan Lal Salvi Address : R/o 1441 Pipli,  
chowk Ward, No.26, Girwa Magri, Udaipur, Raj- 313002

.....ऋणी / अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति  
हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002



उपस्थित: श्री अभिषेक जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक 16-10-2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि 13,10,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद (श्री नारायणलाल पुत्र श्री प्रताप सालवी की एक आवासीय सम्पति भूखण्ड संख्या-3, का भाग, अभिनन्दा सेकेन्ड्री स्कुल के पास, वार्ड राजस्व ग्राम गायरियावास, तहसील-गिर्वा जिला उदयपुर राजस्थान-313001 पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसका लगभग कुल क्षेत्रफल 20x25=500 वर्ग फिट है। जिसकी नाप पूर्व से पश्चिम 20 फीट व उत्तर से दक्षिण 25 फीट है। उक्त आवासीय सम्पति भूखण्ड संख्या-3 का भाग की चारों सीमाएं निम्नानुसार है- उत्तर में-श्री रामखिलाडी का मकान, दक्षिण में-रास्ता 20 फीट, पूर्व में-श्री सोहन सालवी का मकान, पश्चिम में-श्री मांगीलाल का मकान) को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त

जिला कलक्टर  
उदयपुर

प्रतिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये।  
अतः नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय व्याज  
दिनांक 27.05.2022 तक 14,19,174.16/- रूपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी  
बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/ हाईपोथिकेशन रखी गई  
सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी  
बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 13,10,000/-रूपये की ऋण  
सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में  
रहने रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 27.05.2022 तक 14,19,174.16/- रूपये वसूल  
किये जाने हैं। "दी सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स  
एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्वोरिटी इन्ट्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में  
उक्त रहने रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का  
स्पष्ट प्रावधान है एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में  
अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यों के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यों के निस्तारण  
के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहित न होने के कारण  
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर  
अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त  
अपनी जायदाद (श्री नारायणलाल पुत्र श्री प्रताप सालवी की एक आवासीय सम्पत्ति  
भूखण्ड संख्या-3, का भाग, अभिनन्दा सेकेन्ड्री स्कूल के पास, वाके राजस्व ग्राम  
गायरियावास, तहसील-गिर्वा जिला उदयपुर राजस्थान-313001 पर स्थित है। जिसमें  
भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है।  
जिसका लगभग कुल क्षेत्रफल  $20 \times 25 = 500$  वर्ग फिट है। जिसकी नाप पूर्व से पश्चिम  
20 फीट व उत्तर से दक्षिण 25 फीट है। उक्त आवासीय सम्पत्ति भूखण्ड संख्या-3  
का भाग की चारों सीमाएं निम्नानुसार है- उत्तर में-श्री रामखिलाडी का मकान, दक्षिण  
में-रास्ता 20 फीट, पूर्व में-श्री सोहन सालवी का मकान, पश्चिम में-श्री मांगीलाल का  
मकान) का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये  
जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे  
कि वंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग  
अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।



(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
उदयपुर